

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

पूनम उर्फ माया देवी आदि बनाम बाधू देवी आदि

मुकदमा अन्तर्गत धारा 53-88-188-92ए आरटीएक्ट

नम्बर 07 सन् 2024


एम एस आई डी 2024 / 23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इणिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
2..2024	<p>वादीया पूनम उर्फ माया देवी- प्रीती पुत्री गुडडी देवी जाति धर्मा नि. 4 एल एस एम तह. अनूपगढ की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वाद पत्र प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो । वाद पत्र में दर्ज प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.03.2024 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">2 (भारती फूलफकर) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p> <p>12/3/24 वकील वादी दावि। प्रतिवादीगण को ज्ञापित की। सम्मन वाद तामील प्राप्त नहीं। इतनाए दोका पत्रावली रिकार्ड 16/3/24को प्रेषित की</p> <p>16/3/24 वकील वादी दावि। प्रतिवादीगण को ज्ञापित नहीं। वकील जारी के इलाज सम्मन तलबका जेम्स दोके या तलब हुकम पत्रावली दि. 18/3/24 को प्रेषित</p> <p>28/3/24 आज पत्रावली वादिया के द्वारा दिनांक 20/3/24 मा उपर प्रेषित करने पर पत्रावली में ली गई। हम वकील एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। हम वादीगण इतना मुकदमा को अगि फलाना नहीं चाहते है। इतना वाद को रद्द</p>	<p>120 7/2/24</p> <p>Not Press</p>



बदल पद Non-Resident करने की स्वीकृति
प्रदान की जावे)

कड़ीमा के कम्पन व क्लब के साथ
संबन्ध स्थापित के अनुसार वाद को Non-Resident
करने की स्वीकृति प्रदान के पार्श्व में प्रभावली
निकलित होकर सखिल इन्टर ही
मिडिय खुले न्यायालय में सुनाया गया


उपरवाड अ...
रायचिडनगर